अत्यंत महत्वपूर्ण
विशेष पत्र वाहक द्वारा

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वॉ तल, "सी" – विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी. एस्टेट,नई दिल्ली–110002.

एफ.53(01)/ ~~ता.~~ अतां. प्र.01/ चतुर्थ सत्र (चतुर्थ–भाग) 2023 / दिविस / श.वि. /4901-02 दिनांक: 14/12/2023

सेवा में,

1. उप सचिव (प्रश्न शाखा)
   दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
   पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

विषयः सातवीं दिल्ली विधानसभा के चतुर्थ सत्र का (चतुर्थ–भाग) 2023 अतारांकित / ~~तारांकित~~ प्र0 सं. 01
मान्नीय विधायक श्री भूपिन्दर सिंह जून दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में।

महोदया / महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में वर्णित विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियॉ माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित की गई अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

भवदीय

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

कृपया प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली (प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित) दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054.

उप–सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

माननीय विधायक का नाम : श्री भूपिंदर सिंह जून

दिनांक : 15.12.2023

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 01

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुष्पांजलि फार्मस् में कोई गैर कानूनी या अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं;	**क एंव ख दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** जो भी अवैध निर्माण संज्ञान में आता है उस पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत कार्यवाही की जाती है पिछले एक वर्ष के अंतर्गत इस क्षेत्र में 13 फार्म हाउस पर अवैध निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत कार्यवाही की गयी है।
ख	यदि हाँ, तो क्या इन ग़ैर कानूनी और अवैध निर्माणों को दिल्ली नगर निगम द्वारा दर्ज़ किया गया है;	
ग	क्या बिजवासन में पुष्पांजलि फार्मस् के एफ–27 में होने वाला निर्माण कार्य को दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकृति या वैधता प्रदान की गई है;	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–** पुष्पांजलि फार्मस् एफ–27 में किये गये निर्माण को स्वीकृति नही दी गई है।
घ	यदि नहीं, तो क्या उक्त ग़ैर कानूनी निर्माण के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या भविष्य में की जानी प्रस्तावित है; विवरण प्रदान करें; और	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 343 एवम् 344 (1) के तहत नव निर्मित निर्माण को गिराने का आदेश पारित किया गया था। जिसके विरूद्व फार्म हाउस के मालिक ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में WP (C)No. 8528/23 के द्वारा चुनोती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में भवन गिराने के आदेश को स्टे करके फार्म हाउस के मालिक को Appellete Tribunal, MCD के समक्ष जाने की सलाह दी थी। तत्पश्चात् Appellete Tribunal, MCD ने अपील सख्या 525/23 के तहत भवन गिराने के आदेश को निरस्त करते हुये उपायुक्त नजफगढ़ दिल्ली नगर निगम को दोबारा से सुनवाई का आदेश दिया है वर्तमान में यह केस उपायुक्त (नजफगढ क्षेत्र) दिल्ली नगर निगम के समक्ष विचारधीन है।
ड	क्या पुष्पांजलि फार्मस्, बिजवासन में द्वारका सेक्टर 21 अंडरपास से राष्ट्रीय राजमार्ग–48 की ओर जाने वाले मार्ग पर चल रहे 'मैरिज हॉल/विवाह स्थल', जो ट्रैफिक जाम और दैनिक भीड़भाड़ का मुख्य कारण हैं, को दिल्ली नगर निगम द्वारा 'एप्रूड प्लान' और 'कंप्लीशन सर्टिफिकेट' के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है?	**दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसारः–**द्वारका सैक्टर–21 अंडरपास से राष्ट्रीय राजमार्ग–48 की ओर जाने वाले मार्ग पर चार फार्म हाउस और एक मोटल में सामाजिक समारोह आयोजित किये जाते है। ये सभी अप्रुवड फार्म हाउस एंव मोटल है जो कि दिल्ली नगर निगम की पालिसी नं0 Addl.Comm(B)HQ/MCD/2022/D-37 दिनांक 17.08. 2022 के तहत आवश्यक शुल्क जमा करके सामाजिक समारोह का आयोजन करते है।

Dy. Secretary (U.D.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02